वकील अप. ही जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत [illegible]
चुका है और सतांगत है। वाद प्रा. पत्र वकील
प्रार्थी की सुनी गयी। बाद आदेश पत्रावली
दिनांक 8-8-19 को पेश हो।

22-7-19

8-8-19 पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार व अप्रार्थी
वकील की बहस पर और किया व पत्रावली
का अवलोकन किया गया तो पैरोकार सरकार
ने प्रा. पत्र 177 का पेश किया कि अप्रार्थीगण
ग्राम [illegible] खसरा नं. 504, 505/1 किता 2 रकबा
0.28 है. भूमि में बिना सक्षम अधिकारी की
स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग
कर बिना परिवर्तन कार्य आवासीय कार्य हेतु
प्रयोग कर रहे हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरुद्ध है
जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरुद्ध है
प्रा. पत्र पेश होने पर उक्त पर अप्रार्थी को नोटिस
नोटिस तामील किया गया तो अप्रार्थीगण ने प्रा. पत्र
का जवाब पेश किया कि अप्रार्थी ने अन्य
कृषि भूमि पर किसी भी तरह से. प्र. स्वीकृति नहीं
कब्जा रखी है, अप्रार्थी अन्य कृषि भूमि को
कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग व उपभोग में ले
रहा है। अप्रार्थी ने मौके पर किसी प्रकार
की कोई आवासीय स्वीकृति नहीं करायी तो ही
आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर रहा है
वर्तमान में भूमि [illegible] प्रा. पत्र
मिथ्या पेश किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		जवाब प्राप्त पत्र पेश होने पर जवाब प्राप्त की तारीख में तहसीलदार से वाइसल भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट मांगी गयी तो तहसीलदार द्वारा वर्तमान रिपोर्ट ग्राम इमामपुरा भाग जी खसरा नं. 257, 258, 258/1, 259/2 मिता 4 रकबा 1.82 है. भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर खसरा नं. 257, 258, 258/1 की भूमि पर स्टाफ द्वारा प्रतिवादी को खुद भूमि कब्जा दिया गया है, मौके पर पड़त भूमि स्थित है। तथा खसरा नं. 259/2 रकबा 1.07 भूमि में लगभग 0.67 है. भूमि पड़त है। स्टाफ द्वारा हस्तगत की है शेष रकबा 0.40 है. कब्जे व उपयोग में है जिसमें लम्बाई चौड़ाई 30"10"10 एक उपयोग की है शिव नीम निर्माणित है तो उसमें भी प्रतिवादी व इनके पिछे सड़क कच्ची बनी हुयी है। इस प्रकार वर्तमान रिपोर्ट अनुसार भी मौका पर 0.40 है. भूमि में से उपयोग की जा रही है शेष भूमि मौके पर कच्ची सड़क बनी है शेष भूमि मौके पर खाली / पड़त पड़ी हुयी है जो कमीन अभावी द्वारा अन्य भूमि भी कब्जे की अधिक में परिवर्तन कराये जाने की कार्य पत्रावली पर जाहिर किया गया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अपरोक्त [illegible] तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत [illegible] अनुसार अभियोजिका द्वारा अपने कब्जे की भूमि खसरा नं. 257, 258, 258/1, 259/2 मिता 4 रकबा 1.82 है. को कृषि उपयोग में ही काम ले रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:57:33 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
वैकाश शुष्क जमीन में इमारतें भी बीच मर दुकानें है, जिनकी भूमि से अकृषि में परिवर्तन कराया गया है तैयार है। इस प्रकार प्रार्थियों ने मिली भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतर्वलन नहीं किया है और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका रिपोर्ट व प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति से भली प्रकार से साबित होता है। अतः प्र.पत्र 177 का समाहित होने से प्रार्थियों के विरुद्ध प्रस्तुत प्र.पत्र 177 का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 257, 258, 259/1, 259/2 किता 4 रकबा 1.82 है. वाले ग्राम इमलपुरा तहसील चाकसू में 0.40 है. भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने की हिदायत देते हुये, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:57:33 IST
Reason: SelfAttested

टिप्पणियां तथा अधिकारों